रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

19-1-72 M

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 1971/आश्विन 5, 1893

No. 148] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 1971/ASVINA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th September, 1971

Open General Licence No. XCI

No. 7/71.—In pursuance of the Imports (Control) Order, 1955, the Central Government hereby gives general permission to all persons to import into India from any country in the world except the Union of South Africa/South West Africa, Rhodesia, Tibet region of China and Portugal, any goods of the description specified in the schedule below:—

Provided that:—

(i) in the case of goods of the description specified in the schedule below, such goods have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa, Rhodesia, Tibet region of China or Portugal;

(ii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before the 31st March 1972 without any grace period whatsoever; and

(iii) nothing in this licence, shall affect the application to any goods, of any prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

Schedule to G.O.L. No.XCI

S.No.	Part of the I.T.C. Schedule	Description of goods
1	2	3
43	IV	Wattle extract.
44	IV	Wattle bark.
45	IV	Bark for tanning excluding wattle bark.
143(c)	IV	Pickled hides, skins, pelts, Splits and parts thereof.
144(a)	IV	Hides and skins, raw or salted, where the value of hides and skins is more than that of wool)hair thereon.
6	V	Quebracho extract, Chestnut extract and Modified Eucalyptus extract (Myrtan).

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1971

आयात व्यापार नियंत्रण—खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) सख्या

संख्या 7/71.—आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इन देशों दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, रोडेशिया, चीन अथवा पुर्तगाल के तिब्बत क्षेत्र को छोड़कर संसार के किसी भी देश से नीचे दी गई अनुसूची में विशिष्टिकृत विवरण के किसी भी माल का भारत में आयात करने के लिए सामान्य स्वीकृति देती है;

बशर्ते कि :—

(1) नीचे की अनुसूची में विशिष्टिकृत विवरण में उन माल के मामले में ऐसे माल जो दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, रोडेशिया, चीन अथवा पुर्तगाल के तिब्बत क्षेत्र में न तो उत्पन्न ही किये गये हैं, या न बनाये ही गये हैं;

(2) ऐसे माल परेषण के माध्यम से 31 मार्च, 1972 को या उससे पहले बिना किसी अवधि वृद्धि के या चाहे जो कुछ भी हो, भारत के लिए जहाज लदान किया गया है; और

(3) जिस समय ऐसे माल का आयात किया जाता है, उस समय लाइसेंस में, किसी माल के लिए आवेदन-पत्र पर, किसी निषेध या उससे आयात पर प्रभावित विनियम का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

खुले सामान्य लाइसेंस संख्या XCI के लिए अनुसूची

क्रम संख्या	आयात-व्यापार नियंत्रण अनुसूची का भाग	माल का विवरण
1	2	3
43	4	वाटल सत्त
44	4	वाटल छाल
45	4	वाटल छाल को छोड़कर कमाये हुए चमड़े के लिए छाल
143(सी)	4	अम्ल-मार्जिक खालें, चमड़े, खालें, स्पिलट्स और उनके टुकड़े
144(ए)	4	खालें और चमड़े, कच्चा या साल्टेड जहां खाल और चमड़े का मूल्य उसके ऊन बाल से ज्यादा हो
6	5	क्यूब्राको सत्त, चेस्टनट सत्त और रूपान्तरित स्क्यलिपिट्स सत्त (मर्टन)

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971